

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पृथक्तावादी आंदोलन: अलग राज्यों की मांग के विशेष संदर्भ में

Dr. Dhiraj Bakolia

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सार

भारत में अलगाव आम तौर पर एक या एक से अधिक राज्य का भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाना संदर्भित करता है।

देश में कई अलगाववादी आंदोलन मौजूद हैं, जिनके हजारों सदस्य हैं- हालांकि, ये स्थानीय लोगों का समर्थन सीमित है, और वे लोकतांत्रिक चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन 1980 और 1990 के दशक में सक्रिय था, लेकिन अब यह भारत के भीतर काफी हद तक दब गया है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड में उग्रवाद रहा है। लेकिन अब, पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद और उग्रवाद अब स्थानीय जनता के समर्थन की कमी के कारण काफी हद तक महत्वहीन हो गया है।

भारत को देश के कुछ हिस्सों में उग्रवाद पर क़ाबू पाने के लिए कई बार सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लगाना पड़ा है। यह कानून सबसे पहले मणिपुर में लागू किया गया था और बाद में इसे अन्य उग्रवाद-ग्रस्त पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 1989 में एक सशस्त्र विद्रोह के फैलने के बाद से 1990 में इसे भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में लगाया गया। प्रत्येक अधिनियम निर्दिष्ट क्षेत्रों में सैनिकों को क़ानूनी कार्यवाही के खिलाफ़ प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब तक कि भारत सरकार स्वयं अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति नहीं देती। सरकार का कहना है कि AFSPA कश्मीर और मणिपुर जैसे क्षेत्रों में व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक है।

परिचय

महाराजा हरि सिंह 1925 में जम्मू और कश्मीर की रियासत के शासक बने और 1947 में उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के समापन के समय वे राज कर रहे थे। भारत की आसन्न स्वतंत्रता के साथ, अंग्रेजों ने घोषणा की कि रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता समाप्त हो जाएगी, और राज्य भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने या खुद का स्वतंत्र देश बनाने के लिए आज़ाद थे। इस बात पर जोर दिया गया कि स्वतंत्र देश बनाना केवल एक 'सैद्धांतिक संभावना' थी, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के लंबे शासन के दौरान, राज्य अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा समेत विभिन्न जरूरतों के लिए ब्रिटिश भारत सरकार पर निर्भर हो गए थे।^[1,2]

जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुमत था (1941) की जनगणना के अनुसार 77% आबादी मुस्लिम थी। विभाजन के तर्क का अनुसरण करते हुए पाकिस्तान में कई लोगों को यह उम्मीद थी कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। हालांकि, कश्मीर घाटी का प्रमुख राजनीतिक दल (जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस) धर्मनिरपेक्ष था और 1930 के दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबद्ध था। इसलिए भारत के कई लोगों को भी उम्मीद थी कि कश्मीर भारत में शामिल होगा। महाराजा

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

अनिर्णय की स्थिति में थे। 22 अक्टूबर 1947 को राज्य के पश्चिमी जिलों के विद्रोही नागरिकों और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पश्तून कबीले वालों ने राज्य पर हमला कर दिया। उन्हें पाकिस्तान का समर्थन था। महाराजा शुरू में लड़े लेकिन फिर उन्हें भारत से सहायता की अपील करनी पड़ी। भारत इस शर्त पर सहमत हुआ कि महाराजा अंगीकार पत्र (जम्मू और कश्मीर) (instrument of accession) पर हस्ताक्षर करेंगे। महाराजा हरि सिंह ने सैन्य सहायता के बदले में 26 अक्टूबर 1947 को अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे अगले दिन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने इस परिग्रहण को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ-साथ यह शर्त भी रख दी कि इसे "लोगों" के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा (न कि महाराजा के संदर्भ में), क्योंकि राज्य से आक्रमणकारियों के हटाए जाने के बाद से, केवल "जनता ही तय कर सकती है कि कश्मीरी कहाँ रहना चाहते हैं।" यह एक अनंतिम परिग्रहण था। [3,4]

एक बार जब अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, तो भारतीय सैनिकों ने हमलावरों को बाहर खदेड़ने के आदेश का पालन करते हुए कश्मीर में प्रवेश किया। इसके परिणामस्वरूप पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध 1948 के अंत तक चला। 1948 की शुरुआत में, भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया। सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र से अपनी सेना के साथ-साथ पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने के लिए कहा गया, और भारत को केवल उतने सैनिक रखने के लिए कहा, जितने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त हों, जिसके पश्चात् एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाए। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों द्वारा युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की गई थी।

निकास व्यवस्था पर बातचीत के लिए एक विशेष संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP- United Nations Commission for India and Pakistan) की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार की गई थी। इस आयोग ने 1948 और 1949 के बीच उपमहाद्वीप में तीन दौर किए, जो एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हों। अगस्त 1948 में तीन भाग की प्रक्रिया का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसे भारत ने स्वीकार कर लिया था लेकिन पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। अंत में, कोई भी वापसी नहीं हो पाई- जहाँ भारत जोर देकर कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले वापस लेना चाहिए, वहीं पाकिस्तान ने कहा कि भारत की वापस लेने की कोई गारंटी नहीं है। विसैनिकीकरण की प्रक्रिया पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। [26,27]

भारत और पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में दो और युद्ध लड़े। 1971 के बाद दोनों देशों ने शिमला समझौता के मुताबिक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की जगह नियंत्रण रेखा पर सहमति ज़ाहिर की, और साथ में यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के ज़रिए निकाला जाएगा। [5,6]

परमाणु हथियार परीक्षण करने के बाद 1999 में दोनों देश कारगिल युद्ध में एक बार फिर आमने-सामने हुए, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई।

विचार-विमर्श

उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम असम के मूल निवासियों के लिए एक अलग देश की मांग करता है। भारत सरकार ने 1990 में ULFA पर प्रतिबंध लगा दिया था और आधिकारिक तौर पर इसे आतंकवादी समूह घोषित कर लिया था, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग इसे "Other groups of concern" के तहत सूचीबद्ध करता है। 1990 में शुरू हुई भारतीय सेना द्वारा इसके खिलाफ सैन्य कार्यवाही आज भी जारी है। पिछले दो दशकों में, विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष में कुछ 10,000 लोग मारे गए हैं। असम के अलगाववादियों ने पड़ोसी क्षेत्रों से अवैध प्रवास का विरोध किया है। 20 वीं शताब्दी के मध्य से, वर्तमान बांग्लादेश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) के लोग असम की ओर पलायन करते रहे हैं। 1961 में, असम सरकार ने असमिया भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने वाला कानून पारित किया; किंतु कछार में बंगाली भाषी लोगों के दबाव में बाद में इसे वापस लेना पड़ा। 1980 के दशक में ब्रह्मपुत्र घाटी में मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में होने वाली अचानक वृद्धि से भड़का असम आंदोलन छह साल तक चला। [7,8]

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

1996 में स्थापित मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ असम (MULTA) क्षेत्र के मुसलमानों के लिए एक अलग देश की वकालत करता है।

यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (UPDS) कार्बी लोगों के लिए एक संप्रभु राष्ट्र की मांग करता है। इसका गठन मार्च 1999 में असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दो उग्रवादी संगठन- कार्बी नेशनल वालंटियर्स (केएनवी) और कार्बी पीपुल्स फ्रंट (केपीएफ) के विलय के साथ हुआ था। UPDS ने 23 मई 2002 को केंद्र सरकार के साथ एक वर्ष के लिए संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, इसने UPDS में को विभाजित कर दिया, जिसमें एक गुट ने अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने का फैसला किया, जबकि दूसरे ने सरकार के साथ बातचीत शुरू की [24,25]

नगालिम नागा लोगों के लिए एक प्रस्तावित स्वतंत्र देश है। 1950 के दशक में, नागा नेशनल काउंसिल ने भारत सरकार के खिलाफ एक असफल हिंसक विद्रोह का नेतृत्व किया, जो नागाओं के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था। नागा-बहुल नागालैंड राज्य के गठन के बाद अलगाववादी हिंसा में काफी कमी आई, और 1975 के शिलांग समझौते के बाद कुछ और आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। हालांकि, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के विभिन्न गुटों के तहत काम करने वाले अधिकांश नागा एक अलग देश की मांग जारी रखते हैं [23]

2014 भारत के आम चुनावों ने नागालैंड में 87% से अधिक मतदाता मतदान दर्ज किया, जो भारत में सबसे अधिक था। नागा अलगाववादी संगठन NSCN-IMJ ने अब सरकार के साथ शांति वार्ता भी शुरू कर दी है [9,10]

परिणाम

खालिस्तान (मतलब: "खालसे की सरज़मीन") भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादीयों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को दिया गया नाम है। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और इसके इलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड इत्यादि राज्यों के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। खालिस्तानी अलगाववादीयों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत से अपनी एकतरफ़ा आज़ादी की घोषणा की और 1993 में खालिस्तान UNPO का सदस्य बना। 1980 और 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था, बाद में 1995 तक भारत सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया [11,12] ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग शुरू हुई। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार "खालिस्तान" नामक एक पुस्तिका में किया गया। 1947 के बाद प्रवासी सिखों के वित्तीय और राजनीतिक समर्थन तथा पाकिस्तान की ISI के समर्थन से खालिस्तान आंदोलन भारतीय राज्य पंजाब में फला-फूला और 1980 के दशक तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। [21,22] जगजीत सिंह चौहान के अनुसार 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान, खालिस्तान बनाने में मदद का प्रस्ताव रखा था [13,14]

1984 के दशक में उग्रवाद की शुरुआत हुई जो 1995 तक चला इस उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार और सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज़, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 तथा ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाए इन कार्यवाहीयों से उग्रवाद तो बहुत हद तक खत्म हो गया पर इसमें कई आम नागरिकों की जान गई तथा भारतीय सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। भारी पुलिस एवं सैन्य कार्रवाई तथा एक बड़ी सिख आबादी का इस आंदोलन से मोहभंग होने के कारण 1990 तक यह आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा जिसके कारण यह आंदोलन अपने उद्देश्य तक पहुँचने में विफल रहा [15]

ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए आम लोगों के विरोध में कुछ भारतीय सिख और प्रवासी सिख आज भी खालिस्तान का समर्थन करते हैं। 2018 की शुरुआत में, कुछ उग्रवादीयों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने दावा किया था कि हालिया चरमपंथ को पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और अमरीका, कनाडा और यूके के "खालिस्तानी अलगाववादीयों" से समर्थन प्राप्त है [16,17]

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

निष्कर्ष

क्षेत्रवाद आज भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में अत्यन्त व्यापक घटना है और निकट भविष्य में **भारतीय राजनीति** में इस प्रवृत्ति से मुक्ति के कोई चिह्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। डॉ. श्रीराम माहेश्वरी के शब्दों में, "क्षेत्र एक प्रकार से समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जिसे विविध साम्प्रदायिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है।" [18]

कई बार **क्षेत्रवाद** की प्रवृत्ति अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लेती है और इसका प्रयोग **पृथक्तावादी** अथवा देश के अहित में किया जाने लगता है। नागालैण्ड और मिजोरम दोनों क्षेत्रों में अलग होने के आन्दोलन, गोरखालैण्ड की माँग का आन्दोलन, असम में बोड़ो आन्दोलन, पंजाब में खालिस्तान की माँग और आतंकवाद की भयानकता, जम्मू-कश्मीर में समय-समय पर लगने वाले स्वतंत्रता के नारे आदि **क्षेत्रवाद** की प्रवृत्ति का विकृत रूप हैं, जो अहितकर हैं, लेकिन सामान्य रूप से क्षेत्रवाद की भावना एवं प्रक्रिया पृथक्तावाद से अलग है। इसका वास्तविक सम्बन्ध क्षेत्र-विशेष (समुदाय विशेष) के लिए आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए दबाव डालने से है। [19,20]

संदर्भ

1. "India campaign over 'draconian' anti-insurgent law". BBC News. 17 October 2011. मूल से 31 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जून 2019.
2. ↑ Snedden 2003.
3. ↑ Guha, Ramachandra (2008), India after Gandhi: The History of the World's Largest Democracy, Pan Macmillan, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0330396110, मूल से 21 अक्टूबर 2013 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 12 जून 2019: "Pakistan naturally expected Kashmir, with its Muslim majority, to join it. India thought that the religious factor was irrelevant, especially since the leading political party, the National Conference, was known to be non-sectarian."
4. ↑ Snedden, Christopher (2015), Understanding Kashmir and Kashmiris, Oxford University Press, पृ॰ 172–, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-84904-342-7: "Senior Pakistanis, many of whom had once naively simply expected that J&K would join Pakistan, had come to believe that India had been deliberately conniving with Hari Singh to obtain J&K's accession. To try to prevent India's acquisition, some of these Pakistanis sent the Pukhtoons to capture J&K for Pakistan."
5. ↑ Schofield (2003, p. 54): In his letter to Lord Mountbatten on 26 October 1947, the Maharaja wrote, "I wanted to take time to decide which Dominion I should accede... whether it is not in the best interests of both the Dominions and my State to stay independent, of course with cordial relations with both."
6. ↑ "Quick guide: Kashmir dispute". BBC News. 29 June 2006. मूल से 13 अक्टूबर 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 June 2009.
7. ↑ "Who changed the face of '47 war?". Times of India. 14 August 2005. मूल से 1 जून 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 August 2005.
8. ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 22 अक्टूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जून 2019.
9. ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल से 7 अगस्त 2016 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 12 जून 2019.
10. ↑ Stein, Burton. 1998. A History of India. Oxford University Press. 432 pages. ISBN 0-19-565446-3. Page 368.
11. ↑ Empty citation (मदद)

**International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology
& Management (IJMRSETM)**

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 7, Issue 11, November 2020

12. ↑ "Rediff on the NeT Special: The Real Kashmir Story". Rediff.com. मूल से 25 अप्रैल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 April 2013.
13. ↑ "Rediff on the NeT: An interview with Field Marshal Sam Manekshaw". Rediff.com. मूल से 25 अप्रैल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 April 2013.
14. ↑ Varshney 1992, पृ° 194.
15. ↑ Kashmiri leader Sheikh Abdullah noted in the UN Security Council in 1948: ""the (plebiscite) offer (was) made by the Prime Minister of India when, I think, he had not the slightest need for making it, for Kashmir was in distress... The Government of India could have easily accepted the accession and said, "All right, we accept your accession and we shall render this help." There was no necessity for the Prime Minister of India to add the proviso while accepting the accession that "India does not want to take advantage of the difficult situation in Kashmir." (Varshney 1992, पृष्ठ 195)
16. ↑ Subramaniam, Arjun (2016), India's Wars: A Military History, 1947–1971, Harper Collins India, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9351777499. Excerpt at How the map of Jammu and Kashmir could have been significantly different today Archived 2016-06-27 at the Wayback Machine, Scroll.in
17. ↑ Schofield 2003, पृ° 70.
18. ↑ Korbel (1953, p. 502): "Though India accepted the resolution, Pakistan attached to its acceptance so many reservations, qualifications, and assumptions as to make its answer `tantamount to rejection'.
19. ↑ Varshney 1992, पृ° 212.
20. ↑ Korbel 1953, पृ° 506–507.
21. ↑ "Country Reports on Terrorism, 2006". मूल से 27 मई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जून 2019.
22. ↑ "Five killed in Assam bomb blasts - Dawn". मूल से 27 अक्टूबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जून 2019.
23. ↑ Hazarika 2003
24. ↑ "Muslim United Liberation Tigers of Assam (MULTA)". South Asia Terrorism Portal. मूल से 16 अक्टूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-08-14.
25. ↑ "SATP - UPDS". मूल से 3 अक्टूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जून 2019.
26. ↑ "State-Wise Voter Turnout in General Election 2014". Election Commission of India. Government of India. Press Information Bureau. 21 May 2014. मूल से 12 अक्टूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 April 2015.
27. ↑ "Assessment for Tripuras in India", Minorities at Risk Project, UNHCR Refworld, 2003-12-31, अभिगमन तिथि 2009-03-15